छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | पंचम सत्र | अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 5, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत **"अरपा पइरी के धार"** का गायन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

माननीय राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

2. राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

3. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के जीते हुए 8 महापौर उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है ।

माननीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसरण में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री किरण देव, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए गुरुवार दिनांक 27 फरवरी, तथा शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025 को मध्याह्न 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई ।

5. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025 की तिथि निर्धारित की ।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 में लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय और विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

1. <u>वित्तीय कार्य</u>

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025 को होगा। इस पर चर्चा हेतु 03 घंटे का समय निधारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक का उपस्थापन सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025 को मध्यान्ह् 12.30 बजे तक किया जायेगा तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025 एवं बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025 को होगी ।

(3) गुरूवार दिनांक 06 मार्च, 2025 से बुधवार दिनांक 19 मार्च, 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन किया जायेगा ।

(4) गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा ।

(5) वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया जो इस प्रकार है -

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री	3 घंटे
श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	2 घंटे, 30 मिनट
श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	2 घंटे, 30 मिनट
श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री	2 घंटे
श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री	2 घंटे
श्री दयाल दास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	2 घंटे
श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	2 घंटे
श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	2 घंटे
श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री	2 घंटे
श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री	2 घंटे

श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री 2 घंटे

2. **<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>**

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025
पर चर्चा हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया ।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि गुरूवार, दिनांक, 6 मार्च, 2025 से गुरूवार दिनांक 20 मार्च, 2025 तक भोजन अवकाश नहीं होगा।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>7. सदन को सूचना</u>

(1) **<u>"दिनांक 24 फरवरी, 2025 को ब्रहमा भोजन" का आयोजन"</u>**

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दोपहर 12.00 बजे के पश्चात प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर, रिट्रीट सेंटर, विधान सभा मार्ग, सड्डू, रायपुर द्वारा **"ब्रहमा भोजन"** की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सभा के समस्त सदस्यों को आमंत्रित किया गया है तथा आमंत्रण पत्र भी सभी के खानेदार आलमारी में वितरित किया गया है।

आप समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "ब्रहमा भोजन" में सम्मिलित हो।

(2) **निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन के निर्माण कार्य की प्रगति का भौतिक अवलोकन**

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन के निर्माण कार्य की प्रगति का भौतिक अवलोकन करने हेतु भी आप सादर आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि नवीन विधान सभा भवन के अवलोकन हेतु

विधान सभा द्‌वारा बस की व्यवस्था की गई है। जो माननीय सदस्य बस में जाना चाहते हैं, वह बस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा